UPMT010020622026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।

उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–930/2026
विक्रम सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 34/2026, धारा 109(1),61(2),231 भारतीय न्याय संहिता, थाना राया, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **विक्रम सिंह** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार इस मुकदमे के वादी कुमरपाल का गुलवीर सिंह से काफी समय से विवाद चल रहा था, कुमरपाल ने गुलवीर को झूंठे केस में फंसाने के लिए सहअभियुक्त मनोज, कुमरपाल व उसकी साली सावित्री व मनोज के ताऊ/आवेदक/अभियुक्त विक्रम प्रधान ने आपराधिक षडयंत्र कर प्लान बनाकर, प्लान के मुताबिक कुमरपाल को उसके खेत पर सहअभियुक्त मनोज ने गोली मार दी तथा गुलवीर व ललित के खिलाफ 307 का फर्जी मुकदमा लिखाने की योजना बनायी। गोली मारने के बाद सहअभियुक्ता सावित्री वहां से तमंचा व तीन कारतूस लेकर चली गयी। दिनांक 06.02.2026 को 15.20 बजे कूम्हां रेलवे फाटक के पास से सहअभियुक्त मनोज को व सावित्री को कुमरपाल के घर रामगढ़ी से गिरफतार कर सावित्री की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देशी तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस व 3 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त गुलवीर व ललित के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि उसको झूंठा, रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है, जबकि वह पूर्णतः निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी कुमरपाल सिंह की ओर से नामजद अभियुक्त गुलवीर व ललित के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। सहअभियुक्त मनोज के इकबालिया बयान के आधार पर वर्तमान केस में अभियुक्त मनोज, श्रीमती सावित्री व कुमरपाल/वादी व आवेदक/अभियुक्त को गलत तरीके से अभियुक्त बनाय गया है। उसके गांव में जबरदस्त चुनावी रंजिश व पार्टीबंदी चली आ रही है। आवेदक/अभियुक्त अपनी ग्राम पंचायत का प्रधान रहा है व प्रधानी के चुनावों में वह क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। जिसकी वजह से बहुत से लोग उससे अंदरूनी वैमनस्य व रंजिश मानते हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से न तो निरस्त हुआ और न ही विचाराधीन है। इलाका पुलिस उसे गिरफतार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वह न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेगा। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि इस मुकदमे के वादी कुमरपाल का गुलवीर सिंह से काफी समय से विवाद चल रहा था, कुमरपाल ने गुलवीर को झूंठे केस में फंसाने के लिए सहअभियुक्त मनोज, कुमरपाल व उसकी साली

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.07 17:19:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सावित्री व मनोज के ताऊ/आवेदक/अभियुक्त विक्रम प्रधान ने आपराधिक षडयंत्र कर प्लान बनाकर, प्लान के मुताबिक कुमरपाल को उसके खेत पर सहअभियुक्त मनोज ने गोली मार दी तथा गुलवीर व ललित के खिलाफ 307 का फर्जी मुकदमा लिखाने की योजना बनायी। गोली मारने के बाद सहअभियुक्ता सावित्री वहां से तमंचा व तीन कारतूस लेकर चली गयी। दिनांक 06.02.2026 को 15.20 बजे कूम्हां रेलवे फाटक के पास से सहअभियुक्त मनोज को व सावित्री को कुमरपाल के घर रामगढ़ी से गिरफतार कर सावित्री की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देशी तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस व 3 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। मामले की विवेचना चल रही है, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत की पात्र नहीं है।

6– आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर, उक्त षडयंत्र के तहत गुलवीर व ललित को झूंठा फंसाने के लिए वादी/चुटैल/सहअभियुक्त कुंवरपाल पर सहअभियुक्त मनोज से गोली चलवाना तथा गुलवीर व ललित के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज करा देना आक्षेपित है।

प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–07.04.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा